मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. ए. 6-38/99/एक(1)　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 1999.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल.

विषय :—विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से संभालकर रखने के संबंध में.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन के ध्यान में लाया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के संदर्भ में जब कभी किसी अधिकारी द्वारा किसी बैठक के संदर्भ में न्यायालय में याचिका दायर की जाती है तो विभागों/प्रभारी अधिकारियों द्वारा उक्त बैठकों से संबंधित अभिलेखों—यथा कार्रवाई विवरण, मूल्यांकन पत्रक, बंद लिफाफे की अनुशंसाएं आदि की मांग आयोग से की जाती है जिससे आयोग का कार्य अनावश्यक रूप से बढ़ता है. कई बार बहुत पुराने अभिलेखों की मांग भी की जाती है, जबकि वे आयोग के नियमानुसार निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने के कारण विनष्ट किए जा चुके होते हैं. वस्तुतः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरांत समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मूल्यांकन पत्रक की एक प्रति आयोग द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके आधार पर विभाग कार्रवाई विवरण तैयार कर बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के लिए आयोग को भेजता है. इस प्रकार सभी सुसंगत अभिलेख विभागों के पास उपलब्ध रहते हैं, केवल उन्हें व्यवस्थित रूप से संभालकर रखने की आवश्यकता है.

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि भविष्य में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों से संबंधित समस्त अभिलेख एवं कार्रवाई विवरण कृपया व्यवस्थित रूप से संभालकर रखे जाए ताकि न्यायालयीन प्रकरणों के लिए आवश्यकता पड़ने पर विभाग में ही उपलब्ध हो सके. कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देश जारी करें कि न्यायालयीन प्रकरणों के लिए तत्संबंधी अभिलेखों की आवश्यकता पड़ने पर प्रभारी अधिकारी उनकी मांग प्रशासकीय विभाग से करें, लोक सेवा आयोग से नहीं.

हस्ता./-

(बी. आर. कोवले)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. ए. 6-38/99/एक(1)　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 1999.

प्रतिलिपि :—

सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 400/176/90/जीएस, दिनांक 22-10-1999 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित.

हस्ता./-

(बी. आर. कोवले)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.